

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**अधिसूचना**

संचिका संख्या – 15/ख-24-12/2011 ...../स्वा0, पटना, दिनांक – .....

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-566(15) दिनांक-29.06.2018 के द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार, खाद्य संरक्षा अधिकारी को बेगूसराय एवं खगड़िया जिला का खाद्य संरक्षा अधिकारी-सह-अभिहित अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया था। पुनः शुद्धि-पत्र पत्रांक-577(15) दिनांक-03.07.2018 के द्वारा श्री कुमार को अपने पूर्व पदस्थापित जिलों के अतिरिक्त नालंदा जिला का खाद्य संरक्षा अधिकारी-सह-अभिहित अधिकारी बनाया गया।

2. श्री विरेन्द्र कुमार, खाद्य संरक्षा अधिकारी-सह-अभिहित अधिकारी, नालंदा के विरुद्ध बिहारशरीफ थाना काण्ड संख्या-47/19 दिनांक-24.01.2019 दर्ज किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आवंटित जिलों का प्रभार निम्नवत् खाद्य संरक्षा पदाधिकारियों के बीच आवंटित किया जाता है :-

| क्र० सं० | नाम/ पदनाम   | वर्तमान जिले का प्रभार           | अतिरिक्त आवंटित जिला का प्रभार |
|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | मो० एकबाल, खाद्य संरक्षा पदाधिकारी-सह-अभिहित पदाधिकारी       | भागलपुर (मु०) बांका कटिहार       | खगड़िया एवं बेगूसराय           |
| 2        | श्री रमेश कुमार, खाद्य संरक्षा पदाधिकारी-सह-अभिहित पदाधिकारी | औरंगाबाद (मु०) अरवल एवं जहानाबाद | नालंदा                         |

3. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-36 के तहत उपर्युक्त अंकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित जिलों के लिए उनके अपने ही वेतनमान में अभिहित पदाधिकारी (Designated Officer) के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

4. सभी अधिसूचित पदाधिकारियों के यह आदेश दिया जाता है कि अधिसूचित स्थान पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर योगदान कर मुख्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. श्री विरेन्द्र कुमार, खाद्य संरक्षा पदाधिकारी उक्त आदेश के अनुपालन में खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

खाद्य संरक्षा आयुक्त के आदेश से

ह०/-

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-15/ख0-24-12/2011

पटना, दिनांक-

**प्रतिलिपि-** ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-15/ख0-24-12/2011

पटना, दिनांक-

**प्रतिलिपि-** महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-15/ख0-24-12/2011

पटना, दिनांक-

**प्रतिलिपि-** मुख्य अधिशासी अधिकारी, भारत सरकार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एफ0डी0ए0 भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रिय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना एवं सभी संबंधित खाद्य संरक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक-15/ख0-24-12/2011

517(15)

पटना, दिनांक-

22/5/18

**प्रतिलिपि-** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

